संचालनालय
महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–01, द्वितीय तल, नया रायपुर,
दूरभाष कमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax), E-Mail : dirwcd.cg@nic.in

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पुर्नगठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदनों का आमंत्रण

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों का चयन करते हुए आयोग का पुर्नगठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 03 जुलाई 2017 तक आवेदन आमंत्रित हैं । पात्रता/अपात्रता का विवरण निम्नानुसार है :–

1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रुप में चयन के लिए पात्र होगा यदि वह –
   - अ. भारत का नागरिक हैं।
   - ब. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखता हैं।
   - स. तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या कारावास से दंडित नही किया गया हैं।
   - द. केन्द्र/राज्य सरकार या उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई आयोग या निकाय या निगम या मण्डल की सेवा से हटाया या पदच्युत नही किया गया हैं।
   - इ. आवेदक किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हों।
   - फ. वह किसी ऐसी संस्था या दायित्व से न जुड़ा हों जिससे आयोग के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में बाधा हों।

2. वांछित योग्यता निम्नानुसार होगी :–

क्र.	पदनाम	वांछित योग्यता	पद संख्या
1	अध्यक्ष	1. आवेदक ने सामाजिक कार्य विशेषतया बालको के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। बच्चों के कल्याण व संरक्षण के क्षेत्र में विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो। 2. आवेदक को स्वैच्छिक अथवा सेवक के रूप में बाल अधिकार/बाल कल्याण/शिक्षा/बाल स्वास्थ्य/देखरेख /कल्याण/विकास/किशोर न्याय अथवा सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे/निःशक्त बच्चे/बाल श्रमिक अथवा बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या बालकों से संबंधित विधियों के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 3 आवेदक की आयु आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि को 62 वर्ष से अधिक न हो।	एक (1)

2	सदस्य	1. आवेदक जिसने सामाजिक कार्य विशेषतया बालको के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो 2. आवेदक स्वैच्छिक अथवा पेशेवर तरीके से निम्नांकित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षीय कार्यानुभव रखते हो – * शिक्षा * बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास * किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालको या निःशक्त बालको की देखरेख * बाल श्रम या बालको के उत्पीड़न/शोषण की रोकथाम * बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र * बालको से संबंधित विधियों के क्षेत्र में 3 आवेदक की आयु आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो।	6 (कम से कम 2 महिला सदस्य)

विवरण http://cgstate.gov.in *वेबसाईट पर उपलब्ध है :–*

वांछित योग्यता रखने वाले आवेदक अद्यतन बायोडाटा के साथ सभी संबंधित दस्तावेजो यथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अपना **आवेदन कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर 492002 के पते पर दिनांक 03 जुलाई 2017 तक प्रेषित कर सकते है।** अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

प्राप्त आवेदनों पर चयन/अंतिम निर्णय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि :–

अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगें:–

परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 कालावधियों से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य

(क) अध्यक्ष की दशा में, 65 वर्ष की आयु, और

(ख) सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु,

प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा।

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य शासन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना :–

1 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के धारा 7 (1) के अनुसार उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य शासन के आदेश पर हटाया जा सकेगा।

2 धारा 7(2) के अनुसार उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन, आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य –

- दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या
- कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या
- विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या
- अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकारक हो जाता है, या
- किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है, जिसमें राज्य शासन की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या
- आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना उसकी 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

3 धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते :–

अध्यक्ष एवं सदस्यो को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन वह होंगी जो राज्य शासन द्वारा विहित की जायेगी।

व्यक्ति जो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में चुने जाऐंगें उन्हें–

1 यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो संबंधित पद से त्याग पत्र देना होगा।
2 यदि वह किसी प्रकार के व्यवसाय या वृति से जुड़े है तो संबंधित व्यवसाय या वृति को आयोग में कार्यवधि तक स्थगित करना होगा।
3 यदि वह किसी ऐसी संस्था या दायित्व से जुड़ा हों जिससे आयोग के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में बाधा हों, तो उसे वह पदीय दायित्व/संस्था से पृथक होना होंगा।

वांछित योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु टंकित आवेदन पत्र, सभी सुसंगत दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों की प्रतियॉ संलग्न करते हुए सीलबंद लिफाफे में **दिनांक 03 जुलाई 2017 तक** निम्न पते पर आवेदन प्रेषित कर सकते है :–

आयुक्त
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग,
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर, 492002 ।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(डॉ. एम. गीता)
आयुक्त
संचालनालय महिला एंव बाल विकास
नया रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र

अनुदेश :

(क) कृपया कंडिका 1 से 15 तक यथाअपेक्षित सभी विवरण दें।

(ख) कृपया कंडिका 1 से 7 के सामने सभी विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरे।

पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करें।

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. लिंग (पु/म.) :
   (क) पुरुष ☐
   (ख) महिला ☐
   (ग) अन्य ☐
3. जन्म की तारीख :
4. संपर्क विवरण :

आवासीय		कार्यालय/संस्था	
पूर्ण पता	दूरभाष सं. और फैक्स (यदि कोई हो तो)	पूर्ण पता	दूरभाष सं. और फैक्स (यदि कोई हो तो)

5. मोबाईल नम्बर :
6. ई–मेल आईडी :

   अन्य ई–मेल आईडी
7. राष्ट्रीयता (केवल भारतीय नागरिकों के लिए) :
8. कृपया पद को स्पष्ट करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहें हैं :
   (क) अध्यक्ष ☐
   (ख) सदस्य : यदि आप सदस्य के पद पर आवेदन कर रहें हैं तब कृपया अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र का चयन करे :

(i) बालक शिक्षाः ☐

(ii) बालक स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण और बालक विकास : ☐

(iii) किशोर न्याय/देखरेख की उपेक्षा या सीमांत बालक /निशक्तः बालक ☐

(iv) बालक श्रम या संकट में बच्चों का उन्मूलन ☐

(v) बालक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ☐

(vi) बालक से संबंधित विधियां ☐

9. शैक्षणिक अर्हताएं : (आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होने की दशा में कृपया समान रुप विधान में पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

क्र.	डिग्री/डिप्लोमा का नाम (जैसा आपके प्रमाण पत्र में छपा है)	विश्वविद्यालय/स्थान	समयावधि		शिक्षा का प्रमुख पाठ्यक्रम	प्राप्त श्रेणी
			को	से		

10. संक्षिप्त सेवा विशिष्टियां और : (नवीनतम पद से आरंभ करें, आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होने की दशा में कृपया सामान रुप विधान में पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

पदनाम	कार्यालय/संस्था/विभाग	समयावधि		कार्य का संक्षिप्त विवरण
		को	से	

11. पद की उपयुक्तता के संबंध में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई होः (आवेदित पद की अपेक्षाओं से संबंधित कोई अन्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता/जीते हुए पुरुस्कार/प्रकाशन/अनुभव/समानुदेशन (यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)

12. क्या आपका विचार है कि आप आवेदित पद (पदों) के लिए सर्वोत्तम अभ्यर्थी हैं ? (कृपया 800 शब्दों से अनधिक में स्वतः लिखित उत्तर संलग्न करें।)

13. निर्देश : दो निर्देशितियों का नाम, पदनाम और पते के विवरण, जो आवेदक के कार्य से परिचित हो, उत्तरदायित्व प्रास्थिति में (जो नातेदार नही हैं)

नाम	वृत्तिक विवरण	संपर्क विवरण		
		पूर्ण पता	ई–मेल	दूरभाष क्र. फैक्स (यदि कोई हो) और मोबाईल नं.

स्थान :

तारीख : (आवेदक के हस्ताक्षर)

14. सत्यापित किया जाता है कि :

(क) आवेदन प्रारुप में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही हैं।

(ख) मैं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दंडित नही हुआ हूँ।

(ग) मैं केन्द्रीय/राज्य सरकार या उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी आयोग/निकाय या निगम या मण्डल की सेवा से हटाया गया या पदच्युत नहीं किया गया हूँ।

(घ) मैं संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान मंडल का सदस्य या पद के विज्ञापन की तारीख को किसी राजनैतिक दल का सदस्य नही हुँ।

(ड) मैं, यदि चयनित होता हूँ तो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में अपने पद से भिन्न किसी लाभ के पद को धारण नही करुंगा या किसी वृत्ति या किसी व्यवसाय को नही करुंगा।

स्थान :

तारीख : (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन प्रारुप के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज :

(कृपया संलग्न दस्तावेजों को चिन्हित करें)

(क) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण के रुप में सभी डिग्री/प्रमाण पत्रों और और अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियां।

(ख) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल (10 वी)/हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची/प्रमाण पत्र।

(ग) संबंधित संगठनों/प्राधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्र में अनुभव दर्शित करने वाले दस्तावेज ।